अज अदालत [illegible]

ओमप्रकाश बनाम इमरान खान एवं अन्य

[illegible] मुकदमा– प्रार्थना पत्र धारा 73(2) नगरपालिका अधि0 नम्बर–15 सन्– 2015

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

[illegible].2.2021

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 4 उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी 01 व 2 ने दौराने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध नगरपालिका दौसा द्वारा जारी पटटा संख्या 14 दिनांक 30.1.2002 के विरूद्ध वर्ष 2015 में अत्यधिक विलंब से निगरानी पेश की है जो मियाद बाहर है। प्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 19.3.1996 को ही अपना मकान अप्रार्थी के पिता को बेचान कर दिया था तथा चुकती रकम प्राप्त कर ली थी। नगरपालिका द्वारा प्रार्थी के उक्त बेचान इकरारनामा के आधार पर नियमानुसार पटटा बनाया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त बेचान व नगरपालिका के पटटे व कब्जे के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश दौसा के यहॉ दिनांक 14.9.2015 को ही आदेशात्मक, मेन्डेट्री निषेधाज्ञा का दावा मु.नं. 111/2015 पेश कर दिया था। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी ओमप्रकाश को अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 9.2.2016 को पाबंद किया जा चुका है। प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय में लंबित है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 4 ने न्यायिक दृष्टान्त 2018(3)सीजे(सिव.)(राज) 1543 गुलाम जिलानी बनाम स्वायत्त शासन विभाग की प्रति पेश कर निवेदन किया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) में भूमि का पटटा/विक्रय करने की प्रस्ताव की अवस्था में ही लागू होती है न कि पटटा देने/विक्रय करने और पंजीयन करने की पश्चातवर्ती अवस्था में। प्रकरण में नगरपालिका द्वारा पटटा जारी किया जा चुका है जिसको निरस्त करने की शक्तियां श्रीमानजी के न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी को अवसर दिये जाने के बावजूद ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध होता हो कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) में भूमि का पटटा/विक्रय करने के बाद की अवस्था में भी जिला कलक्टर को निगरानी में श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार हो। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा यह निगरानी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के तहत नगरपालिका दौसा द्वारा जारी पटटा दिनांक 30.1.2002 को निरस्त करने हेतु पेश की गई है। उक्त पटटा उप पंजीयक दौसा द्वारा दिनांक 30.1.2022 को पंजीबद्ध किया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) में भूमि का पटटा/विक्रय करने के प्रस्ताव की अवस्था में ही लागू होती है। प्रकरण में नगरपालिका दौसा द्वारा पटटा जारी किया गया है एवं उप पंजीयक दौसा द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के बिन्दु पर ही खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की [illegible] अधीनस्थ नगरपालिका दौसा का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली प[illegible] होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। [illegible] सुनाया गया।

जिला कलक्टर
दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:13:51 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official